हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा नम्बर– 148/2023
मूर्ति मंदिर वगै0 मंजूर हुसैन वगै0

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

ाली आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी के आदेश हेतु पेश हुई। /प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की प्रति वकील /अप्रार्थी को दी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 म 11 पेश कर निवेदन किया कि वादी के दावे की प्लीडिंग के अनुसार वादी ने स्वयं विवादित आराजियत को पैमा पुत्र किशना जाति– ब्राह्मण और इसके बाद पुजारी टूदास चेला सीतारामदास व इसके उपरांत बनवारीलाल पुत्र धन्नादास के नाम दर्ज ा और इनके नाम राजस्व रिकॉर्ड भी बना होना बताया है जबकि वादी ने कभी भी ादित आराजियत के नामान्तरण को सिविल न्यायालय में चेलेंज नहीं किया है इसलिए त प्रकरण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर ारिज होने योग्य है। वादी ने उक्त विवादित आराजियत को पैमा पुत्र किशना जाति– ह्मण और इसके बाद पुजारी छोटूदास चेला सीतारामदास व इसके उपरांत बनवारीलाल त्र धन्नादास के नाम दर्ज होना और इनके नाम से ही जमाबंदी व अन्य समस्त राजस्व कॉर्ड भी बना होना बताया है जिसके लिए वादी ने इस्तकरारहक व रिकॉर्ड दुरुस्ती व थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है जबकि वादी की ओर से उक्त विवादित आराजियत के सम्बन्ध में स्वयं के पक्ष में कोई भी दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किया है जो विधि विरुद्ध होने से उक्त प्रकरण इसी स्तर पर ख़ारिज होने योग्य है। उक्त विवादित आराजियत के सम्बन्ध में आवेदक संख्या 2 व 3 ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जो वादीगण के पक्ष में वांदकारण प्रस्तुत करता हो इसलिए वादकारण के अभाव में उक्त वाद इसी स्तर पर मय भारी हर्जे खर्चे के निरस्त फरमाये जाने के काबिल है। उक्त वाद दिनांक 11–01–2018 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में ख़ारिज होकर फैसल हो चुकी है जिस बाबत वादी ने दिनांक 06–09–2023 को उक्त पत्रावली को पुनः रिस्टोर करवा कर नंबर पर लिया है जो कि पत्रावली के दिनांक 11–01– 2018 को फैसल होने के लगभग 6 वर्ष पश्चात किया गया है जो कि पत्रावली को पुनः रिस्टोर करवाने के क़ानूनी प्रावधानों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 व आदेश 21 नियम 106 सी०पी०सी० व भारतीय परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर ख़ारिज होने के काबिल है।यह कि वादी ने विवादित आराजियत को मंदिर माफ़ी की होना बताया है जिससे सम्बंधित विवाद राजस्थान देव स्थान विभाग के क्षेत्राधिकार में आते हैं इसलिए उक्त विवाद के माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होने की वजह से भी वादी का उक्त दावा माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं है।अतः निवेदन है कि वादी का दावा विधि– विरुद्ध होने, क्षेत्राधिकार में नहीं होने, वाद कारण के अभाव व मियाद बाहर होने के कारण उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खर्चे सहित निरस्त फरमाये जाने का आदेश फरमाया जावे । जिससे भविष्य में माननीय न्यायालय के बेशकीमती समय व संशाधनों को नाजायज ही खर्च होने से बचाया जा सके।

वादी संख्या 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जबाव पेश किया गया कि प्रार्थना पत्र की धारा नं. 1 जिस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है। विवादित अराजीयत के नामान्तरण का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नही है उक्त प्रकरण का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 जिस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है। विवादिज अराजीयत वादी सास्वत नाबालिग मुर्ति मन्दिर रघुनाथ जी वाके झुन्झुनू की कब्जा काश्त व खातेदारी की जमीन है। वादी नं. 3 ने वर्तमान दावा वादी मुर्ति मन्दिर के हितों के रक्षार्थ उनके लिए नेक्सट फ्रेन्ड तथा पुजक की हैसियत से पेश किया है। प्रार्थना पत्र की धारा 3 जिस प्रकार दर्ज है अस्वीकार है। यह लिखना गलत व अस्वीकार है कि वादी को दावे के लिए वादकारण उत्पन्न नही हुआ है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। अदम पैरवी व अदम हाजरी के आदेश को अपास्त कर उक्त पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेना आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों की परिधी में नही आता है। प्रार्थना पत्र की धारा 5 अस्वीकार है। यह लिखना गलत व अस्वीकार है कि वादी क्लिन हेन्ड से न आया हो तथा दावा मियाद बाहर हो।यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 6 अस्वीकार है। विवादित अराजीयत के सम्बन्ध में घोषणा करने का क्षेत्राधिकार माननीय

सिविल न्यायाधीश झुन्झुनू (राज.)

30/12/24
Contd.

न्यायालय कों है देवस्थान विभाग को नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 7 अस्वी
आदेश दिनांक 15.02.2024 विधि सम्वत है। विवादित अराजीयत का राजस्व रिक
नं. 1 के पक्ष में है शेष धारा अस्वीकार है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर कि
कि प्रतिवादी नं. 1 के प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकी
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 ने कथन किया कि इस संबध में वाद 2012 से च
चला तथा 2018 में उक्त वाद अदम पैरवी में खारिज हो गया। वादी द्वारा उक्त
2024 में फिर से रिस्टोर करवाकर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर
उक्त भूमि कभी भी मंदिर के नाम नहीं रही। उक्त भूमि शुरू से ही पैमा राम के
है तथा बाद में उसके वारिसों के नाम रही है। इनको Cause of action ही
ट्रस्ट के अंदर भी मंदिर रजिस्ट्रड नहीं है। उक्त वाद में चार विक्रय पत्रों को
वॉइड करने का अनुतोष चाहा है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा नामान्तकरण की
का क्षेत्राधिकार भी जिला कलक्टर महोदय को है। उक्त संबध में रेफरेंस भी क
महोदय के पास हो चुकी है। वाद दो जगह नहीं चल सकता है। अतः प्रार्थ
अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 को खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वकील प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए कथन किय
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समय केवल वाद व उसके संलग्न दस्तावेजा
देखे जाने हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का कोई भी बिंदु इस दावा पर लागू
होता है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम
जबाव प्रार्थना पत्र, वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का अवलो
किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के अवलो
से यह तथ्य जाहिर है कि वाद पूर्व में दिनांक 11.01.2018 को वाद अदम पैरवी व अ
तकमिल में खारिज किया गया था, जिसे केवल वादी संख्या 03 द्वारा पुनः रिस
करवाने की कार्यवाही की गई है। प्रकरण में मूर्ति मंदिर की ओर से जरिये पूजक व
संख्या 02 की ओर से पेश किया गया है लेकिन वादी संख्या 02 उक्त मंदिर में पूज
की हैसियत से काबिज हो इसके सबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, ना
वादी संख्या 01 व 02 रिस्टोर के समय या उसके बाद आदिनांक तक प्रकरण
उपस्थित आये हैं। वादी संख्या 03 प्रफोर्मा वादी मात्र है। यह तथ्य भी दृष्टिगत है कि
बिना समस्त वादीगण के पत्रावली पर केवल प्रफोर्मा वादी के ओर से कार्यवाही की ज
रही है जो कि न्यायिक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। वादी संख्या 02 व 03 के द्वार
मंदिर के पुजारी होने या इसकी सेवा पूजा करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नहीं किय
गया है और ना ही सीपीसी के आदेश 01 नियम 08 की पालना की गई है। प्रस्तुत
प्रकरण में सम्वत 2012 से ही लगातार खातेदारी चली आ रही है उक्त भूमि सम्वत 2012
से आज तक कभी भी मंदिर मूर्ति के नाम नहीं रही है। अगर गलत खातेदारी दर्ज हो
गई हो तो वादीगण को प्रकरण के समक्ष न्यायालय में रेफरेंश दर्ज करवाने हेतु कार्यवाही
करनी चाहिए थी लेकिन इस संबध में कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण को प्रकरण में इस भूमि बाबत वाद कारण
स्पष्ट नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह भी जाहिर है कि विवादित भूमि के चार
विक्रय पत्रों को खारिज करवाने हेतु माननीय सिविल न्यायालय में भी मुकदमा विचाराधीन
था, जिसे जरिये राजीनामा दिनांक 22.02.2012 को विड्रो के आधार पर खारिज किया
गया था। उक्त वाद में विवादित भूमि के चार विक्रय पत्रों को निरस्त करवाने हेतु भी
अनुतोष चाहा गया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त तथ्यों के
दृष्टिगत प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में एवं क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण
विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर
प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी
स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से एवं वाद
कारण के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल
शुमार हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30/12/2024 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/24

(हवाई सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner